

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़)

124 आवासीय प्लैट्स

भक्त माताकर्मा परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदन पत्र

1. आवेदन पत्र क्रमांक
2. आवेदन शुल्क रूपये 500/- (पांच सौ रूपये)
3. राशि जमा करने का विवरण – रसीद क्रं. दिनांक

कैशियर/कांऊटर लिपिक के हस्ताक्षर

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण,
द्वितीय तल भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर,
न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

QW/ks

महोदय,

मैं भक्त माताकर्मा परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर में स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत प्लैट क्रमांक (2BHK/2BHK(1)/ 2BHK(2)/3BHK/3BHK(1)/3BHK(2)/ 3BHK(3)) तल पर फ्री-होल्ड पर आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। कृपया पंजीयन करने का कष्ट करें।

1. आवेदक का पूरा नाम : श्री / श्रीमती / कु.
2. पिता/पति का नाम : श्री
3. स्थायी पता :
4. मोबाईल/टेलीफोन नंबर :
5. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु):
6. व्यवसाय :
7. Email ID :
8. आवेदक द्वारा नामित व्यक्ति का नाम, संबंध व पता :
9. बैंक खाता क्र.-..... बैंक का नाम एवं पता.....
.....IFSC code
10. आधार नं. पैन नं.

11. क्या आवेदक आरक्षण सुविधा का लाभ लेना चाहता है यदि हाँ तो उपर्युक्त कॉलम में सही (✓) का निशान लगायें।

1.	अनुसूचित जाति/जनजाति	10%	<input type="checkbox"/>
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06%	<input type="checkbox"/>
3.	शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएं	02%	<input type="checkbox"/>
4.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	04%	<input type="checkbox"/>
5.	सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिक	02%	<input type="checkbox"/>
6.	शारीरिक विकलांग	01%	<input type="checkbox"/>
7.	निराश्रित एवं साधनहीन विधवा महिला	02%	<input type="checkbox"/>
8.	तृतीय लिंग समुदाय	02%	<input type="checkbox"/>
9.	अनारक्षित	—	<input type="checkbox"/>

12. आवेदक द्वारा चाहे गए फ्लैट के लिए निम्नानुसार प्रवृष्टियां की जावें :-

सूची में दर्ज फ्लैट का सरल क्रमांक	FLAT NO.	BHK	तल क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी	सुपर बिल्टअप एरिया रकबा (वर्गफुट में)	हस्ताक्षर

टीप :- 1. यदि आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. तीन बार लॉटरी के उपरान्त यदि आरक्षित श्रेणी के फ्लैट के लिये पंजीयन प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन कर दिया जावेगा।

13. मैं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि समय पर भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने फ्लैट आवंटन के नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं। समस्त नियम एवं शर्तें मुझे मान्य हैं।

स्थान :

दिनांक :

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

नाम

घोषणा

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने आवेदन पत्र में जो जानकारी दी है, वह सत्य है तथा मैंने शर्तें एवं नियम पढ़ लिये हैं अथवा मुझे समझा दी गई है। मुझे सभी नियम व शर्तें मान्य हैं, जिसका मेरे द्वारा पालन किया जाएगा। मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आबंटन निरस्त किया जा सकता है एवं जमा की गई राशि राजसात की जा सकती है। इसके अलावा अभियोजन की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
2. प्राधिकरण एवं आवेदक के मध्य उत्पन्न किसी विवाद को पंच निर्णय हेतु सौंपा जाएगा और ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अथवा इस हेतु उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिया जाएगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को पंच (आर्बिट्रेटर) नियुक्त किये जाने के संबंध में मुझे आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही ऐसा आर्बिट्रेटर प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो ।

स्थान :

दिनांक :

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

नाम :

पंजीयन राशि.....

बैंकर्स चेक/पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/बैंक का नाम.....

क्रमांक..... रसीद क्रं..... बुक नं..... दिनांक

..... से जमा किया।

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

14. पंजीयन राशि जमा करने का विवरण :-

अ. जमा की गई राशि

1.) फार्म शुल्क की राशि

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.) पंजीयन शुल्क की राशि

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	राशि (शब्दों में)	
2.	बैंक का नाम	
3.	शाखा	
4.	शहर	

ब. बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण :-

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	जारी करने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	दिनांक एवं क्रमांक	क्रमांक दिनांक.....

स. NEFT /RTGS का विवरण जो कि आवेदक द्वारा जमा की जाये :-

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	भेजने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	यू.टी.आर नम्बर	
5.	आवेदक का पेन नं0	क्रमांक दिनांक.....

द. आवेदक द्वारा NEFT/RTGS से पंजीयन राशि एवं फार्म शुल्क जमा करने हेतु विवरण

क्रं0	विवरण	
1.	रायपुर विकास प्राधिकरण A/C No.	537010100012731
2.	खाते का नाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण
3.	बैंक का नाम	एक्सिस बैंक लिमिटेड, टैगोर नगर, (सी टी), पचपेड़ी नाका, पुजारी चेम्बर्स, ब्लॉक बी-1, राष्ट्रीय रा.मा. क्रमांक 200 रायपुर छ0ग0
4.	IFSC Code	UTIB0000537
5.	MICR Code	492211003

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)

भक्त माता कर्मा व्यवसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

124 आवासीय फ्लैट्स

भक्त माताकर्मा परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

पंजीयन एवं आबंटन की नियम एवं शर्तें

1. भारतीय नागरिक, भारतीय कम्पनी, पार्टनरशीप फर्म, ट्रस्ट, एसोसियेशन ऑफ परसन, एन. आर.आई. अन्य कोई संस्था या व्यक्ति जो नियमानुसार आवासीय उपयोग हेतु फ्लैट खरीदने हेतु पात्र है, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. पंजीयन हेतु आवेदन पत्र रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, (न्यू राजेन्द्र नगर स्थित भक्त माताकर्मा परिसर के द्वितीय तल पर) रायपुर से रू. 500/- का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं है। आवेदन पत्र सोमवार से शनिवार सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक शासकीय अवकाश को छोड़कर प्राप्त किये जा सकेंगे।
- A. 2BHK फ्लैट्स का अनुमानित मूल्य रू0 25.85 लाख रूपये होगा जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 1066.71 वर्गफुट बिल्टअप एरिया 789.24 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 630.34 वर्गफुट है।
- B. 2BHK(1) फ्लैट्स का अनुमानित मूल्य रू0 26.36 लाख रूपये होगा जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 1026.61 वर्गफुट बिल्टअप एरिया 804.85 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 646.16 वर्गफुट है।
- C. 2BHK(2) फ्लैट्स का अनुमानित मूल्य रू0 27.37 लाख रूपये होगा जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 1065.99 वर्गफुट बिल्टअप एरिया 835.73 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 672.00 वर्गफुट है।
- E. 3BHK फ्लैट्स का अनुमानित मूल्य रू0 34.96 लाख रूपये होगा जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 1361.57 वर्गफुट बिल्टअप एरिया 1067.39 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 882.76 वर्गफुट है।
- F. 3BHK(1) फ्लैट्स का अनुमानित मूल्य रू0 32.84 लाख रूपये होगा जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 1258.60 वर्गफुट बिल्टअप एरिया 1002.83 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 800.87 वर्गफुट है।
- G. 3BHK(2) फ्लैट्स का अनुमानित मूल्य रू0 32.31 लाख रूपये होगा जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 1279.15 वर्गफुट बिल्टअप एरिया 986.69 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 785.34 वर्गफुट है।
- H. 3BHK(3) फ्लैट्स का अनुमानित मूल्य रू0 35.94 लाख रूपये होगा जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 1399.98 वर्गफुट बिल्टअप एरिया 1097.52 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 894.75 वर्गफुट है।

आवेदक को अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत राशि पंजीयन शुल्क के रूप में जमा करना होगा।

3. आवेदन के लिये निर्धारित की गई पंजीयन राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चेक/NEFT/RTGS द्वारा स्वीकार की जावेगी। इस हेतु प्रत्येक फ्लैट के लिये आवेदन पत्र के परिशिष्ट क्रमांक 01 में देय पंजीयन राशि दर्शायी गयी है। बिना पंजीयन राशि के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- A. आवेदन पत्र को रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.rdaripur.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे डाउनलोड किये गये सभी आवेदन पत्रों के साथ 500/- रूपये मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, A/C रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा, साथ ही संबंधित दस्तावेजों एवं पंजीयन राशि का ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा।
- B. आवेदन पत्र शुल्क 500 रु. एवं पंजीयन राशि को NEFT/RTGS/BANK TRANSFER से भी जमा किया जा सकता है तथा रसीद की फोटोकापी आवेदन-पत्र के साथ लगाकर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
4. संपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र, पंजीयन राशि के साथ प्राधिकरण कार्यालय में प्रति दिन संध्या 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं।
5. आवेदक द्वारा NEFT/RTGS से पंजीयन राशि एवं फार्म शुल्क जमा करने हेतु विवरण

क्र०	विवरण	
1.	रायपुर विकास प्राधिकरण A/C No.	537010100012731
2.	खाते का नाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण
3.	बैंक का नाम	एक्सिस बैंक लिमिटेड, टैगोर नगर, (सी टी), पचपेड़ी नाका, पुजारी चेम्बर्स, ब्लॉक बी-1, राष्ट्रीय रा.मा. क्रमांक 200 रायपुर छ0ग0
4.	IFSC Code	UTIB0000537
5.	MICR Code	492211003

6. किसी फ्लैट के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर फ्लैट का आबंटन लॉटरी से किया जावेगा। लॉटरी विधि से आवंटिती को फ्लैट आबंटित होते ही प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि जमा करने का समयवार विवरण उपलब्ध कराया जावेगा।

7. फ्लैट का आवंटन नाबालिग के नाम पर नहीं होगा और न ही उसकी तरफ से किसी को आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
8. फ्लैट का आवंटन पंजीकृत आवेदकों को लाटरी पद्धति से किया जावेगा। लाटरी के समय पंजीयनकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम लाटरी में नहीं निकलेगें उनकी जमा पंजीयन राशि आवेदन के साथ मूल रसीद प्रस्तुत करने पर वापस कर दी जावेगी।
9. पंजीयन राशि फ्लैट के मूल्य में अंतिम किश्त में समायोजित की जायेगी।
 - (अ) यदि आवेदक लाटरी की प्रक्रिया होने के पूर्व पंजीयन राशि वापस चाहता है तो पंजीयन राशि में 10 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।
 - (ब) लाटरी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने एवं आवंटन आदेश जारी हो जाने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा 03 माह के भीतर पंजीयन राशि वापस चाहता है तो पंजीयन राशि में 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।
 - (स) आवंटन आदेश जारी होने के 03 माह पश्चात् यदि आवेदक द्वारा पंजीयन राशि वापस चाहता है तो पंजीयन राशि में 30 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।
10. आरक्षण व्यवस्था को आवासीय योजनाओं के लिये प्रचलित नियमों के अनुसार रखा गया है। तीन विज्ञापन प्रकाशन उपरान्त यदि आरक्षित वर्ग के फ्लैट का पंजीयन प्राप्त नहीं होता है, तो उन्हें अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन कर दिया जावेगा। आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार रहेगा :-

1.	अनुसूचित जाति/जनजाति	10%
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06%
3.	शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएं	02%
4.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	04%
5.	सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिक	02%
6.	शारीरिक विकलांग	01%
7.	निराश्रित एवं साधनहीन विधवा महिला	02%
8.	तृतीय लिंग समुदाय	02%

टीप :- आरक्षित वर्ग के हितग्राही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।

11. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबंटिती को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
12. प्रस्तावित फ्लैट्स (प्रकोष्ठ भवन) का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय में प्रचलित नियमों तहत किया जाएगा। फ्लैटों का लॉटरी से आबंटन होने के पश्चात् आवेदक को आबंटन आदेश जारी किया जावेगा जिसमें फ्लैटों की शेष राशि जमा करने के लिये तिथि का उल्लेख होगा। विलम्ब से किश्त जमा किये जाने पर नियमानुसार 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। फ्लैट की कीमत 24 मासिक किश्तों में जमा करना होगा तथा फ्लैट का आधिपत्य अधिकतम 30 माह के भीतर रजिस्ट्री उपरान्त दिया जा सकेगा।
13. फ्लैट्स के भूतल पर कवर्ड पार्किंग का प्रावधान किया गया है, उसका संबंधित ब्लॉक के आबंटिती सामूहिक रूप से बिना विवाद के उपयोग करेंगे।
14. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कालोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा कि स्थिति में समस्त हितग्राहियों को मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों की सामूहिक व्यवस्थाओं के बाह्य रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 7.50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एक मुश्त ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि प्राधिकरण के नियमानुसार प्रदान की जायेगी। रख-रखाव हेतु प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे।
 1. बाह्य साफ सफाई, कचरा उठाने का कार्य एवं नाली सफाई कार्य।
 2. स्ट्रीट लाईट एवं लिफ्ट का संधारण कार्य।
 3. बाह्य सीवर पाईपलाईन एवं रेनवाटर पाईप का संधारण कार्य।
 4. संयुक्त सेप्टिक STP का कार्य।
 5. संयुक्त वाटर टैंक का सफाई कार्य।
 6. भवन के रख-रखाव के अंतर्गत बाह्य प्लास्टर रिपेयरिंग कार्य तथा प्रति 02 वर्ष में बाहरी सतहों में पुताई का कार्य।
 7. गार्डन का रख-रखाव का कार्य।
15. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं. ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी रायपुर विकास प्राधिकरण की नहीं होगी। यदि पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तुरंत हितग्राहियों द्वारा देना अनिवार्य होगा। अन्यथा किसी प्रकार के पते के कारण विवाद उत्पन्न होने पर रायपुर विकास प्राधिकरण की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
16. उक्त योजनांतर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्त को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।

17. भवन पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त नहीं करते हैं तो भवन में सुरक्षा हेतु प्राधिकरण के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा।
18. आधिपत्य अधिपत्र जारी होने के 15 दिवसों के भीतर फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा टूट-फुट की जिम्मेदारी स्वयं हितग्राही की होगी।
19. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से फ्लैट कय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जायेगा, किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
20. विज्ञापन में दर्शायी गई कीमत अनुमानित है, फ्लैट का अंतिम मूल्य, वास्तविक व्यय के आधार पर प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित किया जावेगा, जो आबंटिती को मान्य होगा।
21. (अ) स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा देय अन्य शुल्क/टैक्स (GST) नियमानुसार देय होगा।
(ब) हितग्राहियों को प्रकोष्ठ भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन, शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
(स) निर्धारित जल शुल्क नियमित रूप से पृथक से जमा करना होगा।
22. प्रकोष्ठ भवन के डिजाईन तथा स्पेशीफिकेशन प्राधिकरण द्वारा ही तय किये जायेंगे, बुकलेट में दर्शाये गये स्पेशीफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये प्राधिकरण स्वतंत्र है इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
23. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है एवं प्राधिकरण, की वेबसाईट www.rdaraipur.com में देखा जा सकता है।
24. प्रकोष्ठ भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा।

25. ऐसी योजना/योजनाए जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना ली जानी प्राधिकरण के हित में नहीं होगा, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा। तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि 7 प्रतिशत ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थान्तरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।
26. इस आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि आबंटन निरस्त कर दें। ऐसी स्थिति में पंजीयन राशि में 20 प्रतिशत की कटौती (10 प्रतिशत प्रथम किश्त की राशि में) कर शेष राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी।
27. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
28. प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम फ्लैट आधिपत्य के पश्चात या पहले सभी हिग्राहियों को मान्य होंगे एवं उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।
29. फ्लैट का आधिपत्य निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दिया जायेगा।
30. फ्लैट का पूर्ण मूल्य निर्धारित किश्तों में हितग्राही को देना होगा, किन्तु फ्लैट का आधिपत्य निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिया जावेगा। निर्धारित किश्तों की तालिका आवंटन आदेश के साथ दी जावेगी।
31. उपलब्ध फ्लैटों का अनुमानित मूल्य, फ्लैट का तल वार विवरण एवं आरक्षण की जानकारी पृथक से संलग्न है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)

**124 आवासीय फ्लैट्स
भक्त माताकर्मा परिसर**

स.क्रं.	फ्लैट क्रं.	तल क्रं.	BHK	सुपर बिल्टअप एरिया क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	बिल्टअप एरिया क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	कारपेट एरिया (वर्गफुट में)	अनुमानित मूल्य (रुपये लाख में)	पंजीयन राशि (रुपये में) 10%	आरक्षण वर्ग
1	1	प्रथम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	निराश्रित एवं साधनहीन विधवाओं के लिये
2	2	प्रथम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिये
3	3	प्रथम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनुसूचित जाति/जनजाति
4	4	प्रथम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये
5	5	प्रथम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएँ
6	6	प्रथम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
7	7	प्रथम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
8	8	प्रथम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
9	9	प्रथम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
10	10	प्रथम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनुसूचित जाति/जनजाति
11	11	प्रथम	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	शारीरिक विकलांग
12	12	प्रथम	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिये
13	13	द्वितीय	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	14	द्वितीय	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित

15	15	द्वितीय	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
16	16	द्वितीय	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
17	17	द्वितीय	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
18	18	द्वितीय	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
19	19	द्वितीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
20	20	द्वितीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
21	21	द्वितीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
22	22	द्वितीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
23	23	द्वितीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
24	24	द्वितीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
25	25	द्वितीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
26	26	द्वितीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिये
27	27	द्वितीय	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	तृतीय लिंग समुदाय
28	28	द्वितीय	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएँ
29	29	तृतीय	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
30	30	तृतीय	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनुसूचित जाति/जनजाति
31	31	तृतीय	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
32	32	तृतीय	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
33	33	तृतीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित

34	34	तृतीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
35	35	तृतीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
36	36	तृतीय	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनुसूचित जाति/जनजाति
37	37	तृतीय	2BHK(2)	1065.99	835.73	672.00	27.37	2,73,500	निराश्रित एवं साधनहीन विधवाओं के लिये
38	38	तृतीय	2BHK(2)	1065.99	835.73	672.00	27.37	2,73,500	तृतीय लिंग समुदाय
39	39	तृतीय	3BHK(1)	1258.60	1002.83	800.87	32.84	3,28,500	अनारक्षित
40	40	तृतीय	3BHK(1)	1258.60	1002.83	800.87	32.84	3,28,500	अन्य पिछड़ा वर्ग
41	41	तृतीय	3BHK(2)	1279.15	986.69	785.34	32.31	3,23,000	अनारक्षित
42	42	तृतीय	3BHK(2)	1279.15	986.69	785.34	32.31	3,23,000	अनारक्षित
43	43	तृतीय	3BHK(3)	1399.98	1097.52	894.75	35.94	3,59,400	सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये
44	44	तृतीय	3BHK(3)	1399.98	1097.52	894.75	35.94	3,59,400	अनुसूचित जाति/जनजाति
45	45	चतुर्थ	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अन्य पिछड़ा वर्ग
46	46	चतुर्थ	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
47	47	चतुर्थ	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
48	48	चतुर्थ	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	तृतीय लिंग समुदाय
49	49	चतुर्थ	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
50	50	चतुर्थ	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
51	51	चतुर्थ	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
52	52	चतुर्थ	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित

53	53	चतुर्थ	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
54	54	चतुर्थ	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
55	55	चतुर्थ	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनुसूचित जाति/जनजाति
56	56	चतुर्थ	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
57	57	चतुर्थ	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
58	58	चतुर्थ	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
59	59	चतुर्थ	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	अनुसूचित जाति/जनजाति
60	60	चतुर्थ	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	अन्य पिछड़ा वर्ग
61	61	पंचम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
62	62	पंचम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
63	63	पंचम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
64	64	पंचम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
65	65	पंचम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
66	66	पंचम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
67	67	पंचम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
68	68	पंचम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	निराश्रित एवं साधनहीन विधवाओं के लिये
69	69	पंचम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
70	70	पंचम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
71	71	पंचम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित

72	72	पंचम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनुसूचित जाति / जनजाति
73	73	पंचम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
74	74	पंचम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
75	75	पंचम	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	अनारक्षित
76	76	पंचम	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	अनारक्षित
77	77	षष्ठम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
78	78	षष्ठम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
79	79	षष्ठम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
80	80	षष्ठम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
81	81	षष्ठम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
82	82	षष्ठम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनुसूचित जाति / जनजाति
83	83	षष्ठम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
84	84	षष्ठम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
85	85	षष्ठम	2BHK(2)	1065.99	835.73	672.00	27.37	2,73,500	अनारक्षित
86	86	षष्ठम	2BHK(2)	1065.99	835.73	672.00	27.37	2,73,500	अनारक्षित
87	87	षष्ठम	3BHK(1)	1258.60	1002.83	800.87	32.84	3,28,500	अनुसूचित जाति / जनजाति
88	88	षष्ठम	3BHK(1)	1258.60	1002.83	800.87	32.84	3,28,500	अनारक्षित
89	89	षष्ठम	3BHK(2)	1279.15	986.69	785.34	32.31	3,23,000	अन्य पिछड़ा वर्ग
90	90	षष्ठम	3BHK(2)	1279.15	986.69	785.34	32.31	3,23,000	अनारक्षित

91	91	षष्ठम	3BHK(3)	1399.98	1097.52	894.75	35.94	3,59,400	शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएँ
92	92	षष्ठम	3BHK(3)	1399.98	1097.52	894.75	35.94	3,59,400	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिये
93	93	सप्तम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
94	94	सप्तम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
95	95	सप्तम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
96	96	सप्तम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
97	97	सप्तम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
98	98	सप्तम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
99	99	सप्तम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
100	100	सप्तम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
101	101	सप्तम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये
102	102	सप्तम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
103	103	सप्तम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
104	104	सप्तम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
105	105	सप्तम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनुसूचित जाति/जनजाति
106	106	सप्तम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
107	107	सप्तम	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	अनारक्षित
108	108	सप्तम	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	अनारक्षित
109	109	अष्टम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित

110	110	अष्टम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
111	111	अष्टम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनुसूचित जाति / जनजाति
112	112	अष्टम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
113	113	अष्टम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अन्य पिछड़ा वर्ग
114	114	अष्टम	2BHK	1066.71	789.24	630.34	25.85	2,58,500	अनारक्षित
115	115	अष्टम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
116	116	अष्टम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
117	117	अष्टम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
118	118	अष्टम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
119	119	अष्टम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
120	120	अष्टम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अनारक्षित
121	121	अष्टम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिये
122	122	अष्टम	2BHK(1)	1026.61	804.85	646.16	26.36	2,73,500	अन्य पिछड़ा वर्ग
123	123	अष्टम	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	अनारक्षित
124	124	अष्टम	3BHK	1361.57	1067.39	882.76	34.96	3,49,500	अनारक्षित